न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, आजमगढ़

CNR No. UPAZ01-010748-2024

सत्र परीक्षण संख्या–607/2024

राज्य बनाम महेन्द्र राजभर आदि
अपराध सं०–178/2024
धारा–34, 302, भा०दं०सं० व
4/25 आयुध अधिनियम
थाना–बरदह, जनपद आजमगढ़

दिनाँक–24.02.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त जेल से उपस्थित।

प्रस्तुत सत्र परीक्षण की पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतु एक आदेश प्राप्त है, जिसके क्रम में पत्रावली में छोटी तिथियां लगा कर पत्रावली के शीघ्र निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में पत्रावली में कागज सं०–25ख के जरिये सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा एक प्रार्थना पत्र आज दिनाँक 24.02.2026 को इस आशय का दिया गया है कि पत्रावली में वर्तमान में साक्षी पी०डब्लू०–5 के रूप में निरीक्षक अखिलेश कुमार मौर्या को आना है, किन्तु आज न्यायालय में अधिवक्ताओं के कार्य न करने (हड़ताल पर होने) के कारण पत्रावली में उक्त साक्षी का साक्ष्य नहीं हो पाया। आगे उनके द्वारा बताया गया है उक्त साक्षी अपने शासकीय एवं व्यक्तिगत कार्य के कारण दिनाँक 10.03.2026 से पहले न्यायालय आने में असमर्थ है। ऐसे में उनके द्वारा उक्त साक्षी का साक्ष्य डिफर करके उसके स्थान पर हेड कांस्टेबल राज बहादुर व फर्द के दो अन्य साक्षी रवि राजभर व विकास को अगली तिथि पर बुलाने की याचना की गयी है।

प्रकरण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र 25ख स्वीकार किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि अगली तिथि 27.02.2026 को शीघ्र अतिशीघ्र किसी साक्षी को न्यायालय में उपस्थित करा कर साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें। वास्ते सक्ष्य दिनाँक 27.02.2026 को पेश हो।

(अजय श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code UP 2403

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.02.24 16:02:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court